मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973
(अधिनियम क्र044 सन्1973)

धारा क्रमांक   विषय वस्तु

पहला अध्याय–प्रारम्भिक

1	संक्षिप्त नाम,विस्तार तथा प्रारम्भ
2	सोसायटियां जिनको अधिनियम लागू होता है
3	परिभाषाएं
3क	विद्यमान सोसायटियों का बचाव

दूसरा अध्ययाय–समितियों का पंजीयन तथा उनके अन्य अधिकारी

4	सोसायटियों का रजिस्ट्रार तथा उनके अन्य अधिकारी

तीसरा अध्याय– रजिस्ट्रीकरण

5	सोसायटियां प्रतिष्ठान–ज्ञापन तथा रजिस्ट्रीकरण द्वारा बनेंगी
6	प्रतिष्ठान ज्ञापन के संबंध में अपेक्षाएं
7	रजिस्ट्रीकरण
8	रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य
9	सोसायटी के विनियम
10	रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के ज्ञापन व विनियमों या उपविधियों के संशोधन
11	सोसायटी के ज्ञापन या विनियमों आदि को संशोधित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति
12	सोसायटी के नाम की तब्दीली
13	नाम तब्दीली की सूचना
14	नाम तब्दीली का प्रभाव
15	सोसायटियां अपने प्रयोजनों को परिवर्तित करने या न्यून करने के लिये समर्थ बनायी जायेंगी

चौथा अध्याय– सदस्य, उनके अधिकार तथा विशेषाधिकार

16	सदस्यों का रजिस्टर
17	सदस्यों पर व्यक्तियों की भॉति वाद चलाये जा सकेंगे

18 अपराधों के दोषी सदस्य व्यक्तियों की भॉति दण्डनीय होंगे
19 उपविधि के अधीन प्रोद्भूत होने वाली शास्ति की वसूली

पॉचवां अध्याय– सोसायटियों की सम्पत्ति तथा निधियॉ

20 सोसायटी की सम्पत्ति किस प्रकार निहित होगी
21 सोसायटी स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या विक्रय या अन्तरण रजिस्ट्रार की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं करेगी
22 सोसायटियों द्वारा तथा उनके विरूद्ध वाद
23 वाद का उपशमन नहीं होगा
24 सोसायटी के विरूद्ध निर्णय का प्रवर्तन
25 सोसायटी द्वारा लेखा –पुस्तकों का रखा जाना
26 अभिलेखों आदि का अधिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति

छठवॉ अध्याय–वार्षिक विवरणियॉ, संपरीक्षा, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षण

27 शासी निकाय की वार्षिक सूची फाईल की जायेगी
28 संपरीक्षा तथा निरीक्षण
29 दस्तावेजों का निरीक्षण
30 हाजिर कराने आदि की शक्तियां
31 जानकारी मंगाने की रजिस्ट्रार की शक्ति

सातवॉ अध्याय– जॉच तथा अतिष्ठान

32 जॉच तथा विवादों का निपटारा
33 शासी निकाय का अतिष्ठान

आठवॉ अध्याय– सोसायटियों का विघटन
34 सोसायटियों के विघटन और उनके कार्यकलापों के समायोजन के लिये उपबन्ध
35 विघटन होने पर किसी भी सदस्य को लाभ प्राप्त नहीं होगा

36 विघटन के पश्चात् इस बात का अवधारणा कि सम्पत्ति का उपयोग सरकार द्वारा किया जायेगा

नवॉ अध्याय– अपराध तथा शास्तियॉ

37 अपराधों का संज्ञान

38 धारा 27 का पालन न करने पर मिथ्या प्रविष्टि के लिए शास्ति

39 धारा 28 तथा 31 के उल्लंघन के लिये शास्ति

दसवॉ अध्याय– अपील

40 अपील

ग्यारहवॉ अध्याय– प्रकीर्ण

41 रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी लोक सेवक होंगे

42 सद्भावनापूर्वक किये गये कार्यो के लिए परित्राण

43 नियम बनाने की शक्ति

44 निरसन

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973
(क्रमांक 44 सन् 1973)

(दिनांक 29 सितम्बर,1973 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति 'मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 11 अक्टूबर, 1973 को प्रथमबार प्रकाशित की गई)

मध्यप्रदेश में साहित्यिक,सामाजिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, धार्मिक,खैराती एवं जनकल्याणकारी तथा अन्य सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य सरकार के चौबीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

पहला अध्याय–प्रारम्भिक

1 संक्षिप्त नाम,विस्तार तथा प्रारम्भ– (1) यह अधिनियम मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 कहा जा सकेगा

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है ।
(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार,अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियत करे।

2 सोसायटियॉ जिनको अधिनियम लागू होता है – यह अधिनियम उन सोसायटियों को लागू होता हैजो निम्नलिखित समस्त प्रयोजनों के लिये या उनमें से किसी भी प्रयोजन के लिये बनायी गयी हो–

(एक) विज्ञान,शिक्षा साहित्य या ललित कलाओं की अभिवृद्धि के लिये,

(दो) उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिये

(तीन) राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये,

(चार) सदस्यों के साधारण उपयोग के लिये या जनता के लिये खुले रहने वाले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिस्थापन या अनुरक्षण के लिये,

(पॉच) चित्रकारी तथा अन्य कलाकृतियों की वीथिकाओं की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिये,

(छः) लोक संग्रहालयों की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिये,

(सात) प्रकृति विज्ञान, यांत्रिक तथा दार्शनिक आविष्कारों,उपकरणों या परिकल्पनाओं के संग्रहण के लिये,

(आठ) सामाजिक कल्याण के संप्रवर्तन के लिये,

(नौ) धार्मिक या खैराती प्रयोजन, जिसके अन्तर्गत सैनिक अनाथों के कल्याण,राजनैनिक पीडितों के कल्याण और वैसे ही व्यक्तियों के कल्याण के लिये,निधियों की स्थापना आती है,के सम्प्रवर्तन के लिये,

(दस) व्यायाम–विद्या की प्रोन्नति के लिये,

(ग्यारह) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा उनका क्रियान्वयनः

(बारह) वाणिज्य,उद्योग तथा खादी की प्रोन्नति

3 परिभाषाएॅ– इस अधिनियम में,जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) 'सोसायटी के शासीनिकाय' से अभिप्रेत है गवर्नर,परिषद् संचालक,समिति न्यासी या अन्य निकाय,जो चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो,तथा जिसे सोसायटी के विनियमों द्वारा उसके कामकाज का प्रबन्ध सौंपा गया होः

(ख) 'सोसायटी के सदस्य' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे सोसायटी के विनियमों के अनुसार सोसायटी में प्रवेश दिया गया हो तथा जो सोसायटी का तत्समय सदस्य बना रहता हो और जिसने सोसायटी के विनियमों के अनसार–

(एक) अभिदान का संदाय कर दिया गया हो,

(दो) सदस्यों की नामावली या सूची में हस्ताक्षर कर दिये गये हो,और

(तीन) पदत्याग न किया हो ।

(ग) 'रजिस्ट्रार' से अभिप्रेत है धारा 4 की उपधारा (1)के अधीन नियुक्त किया गया सोसायटी का रजिस्ट्रार और उसके अन्तर्गत उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये सोसायटी के अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार,उप रजिस्ट्रार तथा सहायक रजिस्ट्रार उस दशा में आते हैं, जबकि वे रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग कर रहे हों या रजिस्ट्रार के समस्त कर्तव्यों का या उनमे से किसी भी कर्तव्य का पालन कर रहे हों:

(घ) 'सोसायटी के विनियमों' से अभिप्रेत है सोसायटी के रजिस्ट्रीकृत विनियम जो तत्समय प्रवृत्त हो:

(ड) 'सोसायटी' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गयी या रजिस्ट्रीकृत समझी गयी कोई सोसायटी:

(च) 'राज्य सहायता प्राप्त सोसायटी' से अभिप्रेत है वह सोसायटी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी निकाय से सहायता,अनुदान या उधार प्राप्त करती है या जिसने रियायती दरों पर भूमि या भवन या दोनों तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त की है ।'

3क विद्यमान सोसायटियों का बचाव– धारा 44 के अधीन निरसित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली कोई सोसायटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जावेगी।

———————————————————————————————

————————2 म0प्र0संशोधन अधिनियम क्र0 27 सन् 1976 द्वारा अंतःस्थापित ।म0प्र0 राजपत्र(असाधारण) दिनांक 13 मई 1976 में प्रकाशित।

दूसरा–अध्याय
समितियों का पंजीयक तथा उनके अन्य अधिकारी

4 सोसायटियों का रजिस्ट्रार तथा उनके अन्य अधिकारी–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी जो कि सोसायटियों का रजिस्ट्रार कहलायेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों एवं कृत्यों का पालन करेगा,जो कि इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त की गयी हैं,किये गये हैं और ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के, जो कि राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएं,के अध्यधीन रहते हुए,प्रशासन का अधीक्षण करेगा और सम्पूर्ण राज्य में इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करेगा।

(2) राज्य सरकार वैसी ही अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्रों के लिये, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें और व्यक्ति भी नियुक्त कर सकेगी,जो सासायटी के अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार तथा सहायक रजिस्ट्रार कहलायेंगे और उन्हें इस अधिनियम के समस्त उपबन्धों या उसमें से किसी भी उपबन्ध के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिये जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये/किये जायें,सशक्त कर सकेगी।

तीसरा अध्याय– रजिस्ट्रीकरण

5 सोसायटियॉ प्रतिष्ठान–ज्ञापन तथा रजिस्ट्रीकरण द्वारा बनेंगी– कोई भी सात या सात से अधिक व्यक्ति, जो किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक,शैक्षणिक, धार्मिक या खैराती प्रयोजन के लिये या किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिये जो कि धारा 2 में वर्णित है,सहयुक्त हुए हों,प्रतिष्ठान ज्ञापन में अपने हस्ताक्षर करके और उसे रजिस्ट्रार के पास फाईल करके इस अधिनियम के अधीन स्वयं की एक सोसायटी बना सकेंगे।

6 प्रतिष्ठान–ज्ञापन के संबंध में अपेक्षाएं– (1) प्रत्येक सोसायटी के प्रतिष्ठान–ज्ञापन में निम्नलिखित बातें कथित की जायेगी–

(क) सोसायटी का नामः

(ख) सोसायटी के उद्देश्यः

(ग) सोसायटी के प्रधान कार्यालय का स्थानः

(ध) गव्हनर्रों,परिषद्,संचालकों,समिति या अन्य शासी निकाय, जिसे सोसायटी के विनियमों द्वारा सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सौंपा गया हो,के नाम,पते तथा उनकी उपजीविकाएँ।

(2) प्रतिष्ठान ज्ञापन में कोई भी ऐसा नाम प्रस्थापित नहीं किया जायेगा–

(क) जो उस नाम के,जिसके कि कोई विद्यमान सोसायटी राज्य में कहीं भी तत्पूर्व रजिस्ट्रीकृत की गयी हो,समान हो या अत्यधिक सदृश होः या

(ख) जो–

(एक) ऐसे शब्दों से बनता हो जो भारत सरकार का या किसी राज्य की सरकार का प्रतिश्रय व्यंजित करते हों या व्यंजित करने के लिये प्रकल्पित हो, या

(दो) राष्ट्रीय,अन्तर्राष्ट्रीय या विश्वव्यापी महत्व के ऐसे शब्दों से या ऐसे अन्य शब्दों से बनता हो जिन्हें कि राज्य सरकार,समय–समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, या

(तीन) ऐसे शब्दों से बनता हो,जिनसे कि रजिस्ट्रार की राय में जनता को भ्रंम होना संभाव्य हो।

3 सोसायटी के विनियमां की एक प्रतिलिपि,जिसे शासी निकाय के सदस्यों में से कम से कम तीन सदस्यों द्वारा सही प्रतिलिपि प्रमाणित किया गया हो, प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की जायेगी।

4 वे व्यक्ति जिनके द्वारा जिनकी ओर से ऐसा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाये, सोसायटी के बारे में ऐसी और जानकारी देंगे,जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करें।

7 रजिस्ट्रीकरण– यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि सोसायटी ने इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन कर दिया है और यह कि उसके प्रस्थापित विनियम उक्त उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं हैं,तो वह ऐसी फीस का संदाय करने पर,जो कि विहित की जाये, सोसायटी और उसके विनियमों को रजिस्ट्रीकृत करेगा और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र जारी करेगा ।

8 रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य– रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जब तक कि यह साबित न कर दिया जाये कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उसमें वर्णित सोसायटी सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है।

9 सोसायटी के विनियम– सोसायटी के विनियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेगा :–

(एक) सदस्यों को प्रवेश देने की शर्ते,

(दो) कतिपय परिस्थितियों में जुर्माने तथा समपहरण के प्रति सदस्यों का दायित्व,

(तीन) किसी अभिदान या जुर्माने का संदाय न करने के परिणाम,सदस्यों के त्यागपत्र और निष्कासन,

(चार) न्यासियों की नियुक्ति तथा उनका हटाया जाना और उनकी शक्तियॉ,

(पॉच) शासी निकाय को नियुक्त करने तथा उसे हटाने की रीति और ऐसे निकाय की शक्तियॉ,

(छः) सोसायटी के वार्षिक सम्मेलन तथा अन्य सम्मेलनों का समय और स्थान,

(सात) वह रीति,जिसमें ऐसे सम्मेलनों की सूचना दी जा सकेगी,

(आठ) सोसायटी के सम्मेलनों में काम–काज करने के लिये आवश्यक गणपूर्ति,

(नौ) विनियम बनाने, उन्हे परिवर्तित और विखंडित करने की रीति,

(दस) निधियों का विनिधान,लेखाओं का रखा जाना और लेखाओं की वार्षिक या नियत–कालिक संपरीक्षा,

(ग्यारह) सोसायटी को विघटित करने की रीति,

(बारह) विघटन के पश्चात् इस बात का अवधारण कि सम्पत्ति का उपयोग सरकार द्वारा धारा 36 के अनुसर किया जायेगा,

(तेरह) उपविधियों द्वारा उपबन्धित किये जाने वाले विषय तथा वह रीति, जिसमें वह बनायी जायेगी, और

(चौदह) ऐसे अन्य विषय, जो सोसायटी के स्वरूप और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समीचीन समझे जायॅ।

10 रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के ज्ञापन व विनियमों या उपविधियों के संशोधन– (1) रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के प्रतिष्ठान–ज्ञापन या विनियमों का कोई भी संशोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह संशोधन इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न कर लिया गया हो।

(2) ऐसे संसोधन के लिये प्रत्येक प्रस्थापना ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी फीस के साथ,जैसी कि विहित की जाए रजिस्ट्रार को अग्रेषित की जाएगी। और यदि रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाये कि संशोधन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रतिकूल नहीं है,तो वह यदि उचित समझे, संशोधन को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा ।

(3) यहॉ कोई संशोंधन उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, वह रजिस्ट्रार धारा 29 में विनिर्दिष्ट की गयी फीस का संदाय करने पर, संशोधन की एक प्रतिलिपि जो कि उसके द्वारा प्रमाणित की जायेगी, सोसायटी को देगा जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वह (संसोधन) सम्यक्–रूपेण रजिस्ट्रीकृत है।

11 सोसायटी के ज्ञापन या विनियमों आदि को संशोधित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति– (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि रजिस्ट्रार यह समझे कि किसी सोसायटी के प्रतिष्ठान–ज्ञापन या विनियम या उपविधियों में कोई संशोधन किया जाना उस सोसायटी के हित में आवश्यक या वांछनीय है तो वह लिखित आदेश द्वारा ,जिसकी तामील उस सोसायटी पर विहित रीति में की जायेगी, उस सोसायटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे समय के भीतर, जो कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, वह उस संशोधन को करे।

(2) यदि वह सोसायटी उस समय के भीतर जो कि रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, कोई ऐसा संशोधन करने से चूक जाय, तो रजिस्ट्रार उस सोसायटी को उसकी आपत्तियॉ,यदि कोई हों,कथित करने का अवसर देने के पश्चात्–

(क) प्रतिष्ठान–ज्ञापन या विनियमों के ऐसे संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि उस सोसायटी को भेजेगा,या

(ख) उपविधियों में ऐसा संशोधन करेगा और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि उस सोसायटी को भेजेगा,और तदुपरि प्रतिष्ठान ज्ञापन या विनियमों या उपविधियों का ऐसा संशोधन उस सोसायटी तथा उसके सदस्यों को आवद्धकर होगा।

12 सोसायटी के नाम की तब्दीली– कोई भी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी धारा 14 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अपने नाम की तब्दीली, इस प्रयोजन के लिये बुलाये गये साधारण सम्मिलन में अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की सम्मति से पारित संकल्प द्वारा कर सकेगी।

13 नाम तब्दीली की सूचना– (1) धारा 12 के अधीन पारित किये गये संकल्प की एक प्रतिलिपि रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी।

(2) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि नाम की तब्दीली के बारे में इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन हो गया तथा यह समाधान हो जाये कि प्रस्थापित नाम धारा 6 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुरूप है तो वह पूर्ववर्ती नाम के स्थान पर रजिस्टर में नया नाम दर्ज करेगा तथा दर्ज किया जाने का प्रमाण–पत्र उसमें आवश्यक परिवर्तन सन्निविष्ट करके जारी करेगा तथा नाम की तब्दीली ऐसा प्रमाण–पत्र जारी होने पर ही पूर्ण एवं प्रभावी होगी।

(3) रजिस्ट्रार सोसायटी के प्रतिष्ठान–ज्ञापन में भी आवश्यक परिवर्तन करेगा।

(4) रजिस्ट्रार, उपधारा (2) के अधीन जारी किये गये प्रमाण–पत्र की किसी भी प्रतिलिपि के लिये एक रूपया फीस लेगा और इस प्रकार संदत्त समस्त फीस का राज्य सरकार को लेखा दिया जायेगा ।

14 नाम तब्दीली का प्रभाव– सोसायटी के नाम में तब्दीली का उन सदस्यों के,जिनको कि तब्दीली के पूर्व प्रवेश में दिया गया हो, या सोसायटी के किन्हीं भी अधिकारों या उनकी बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा या न वह तब्दीली सोसायटी द्वारा की गयी या सोसयटी के विरूद्ध की गयी किसी विधिक कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण बनायेगी।

15 सोसायटियॉ अपने प्रयोजनों को परिवर्तित करने या न्यून करने के लिये समर्थ बनायी जायेंगी– जब कभी किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के,जो किसी विशिष्ट प्रयोजनों या प्रयोजन के लिये स्थापित की गयी हो,

शासीनिकाय को यह प्रतीत हो कि ऐसे प्रयोजन की,इस अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत अन्य प्रयोजनों के सम्बन्ध में या प्रयोजनों के लिये परिवर्तित करना, विस्तारित करना या न्यून करना या ऐसी सोसायटी को किसी अन्य सोसायटी के साथ पूर्णतः या भागतः समामेलित करना उचित है,तो ऐसा शासी निकाय उस प्रतिपादन का सोसायटी के सदस्यों के समक्ष लिखित या मुद्रित रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत कर सकेगा और सोसायटी के विनियमों के अनसार उस पर विचार करने के लिये एक विशेष सम्मिलन बुला सकेगाः

परन्तु कोई भी ऐसी प्रतिपादना तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी,जब तक कि ऐसी रिपोर्ट शासीनिकाय द्वारा उस पर विचार करने के लिये बुलाये गये विशेष सम्मिलन के दस दिन पूर्व,सोसायटी के प्रत्येक सदस्य को परिदत्त न कर दी गयी हो या डाक से भेज न दी गयी हो और जब तक कि ऐसी प्रतिपादना को सदस्यों के तीन पंचमांश मतों द्वारा जो कि स्वयं दिये गये हों या परोक्ष द्वारा दिये गये हों,सहमति प्राप्त न हो गई हो तथा शासी निकाय द्वारा पूर्व सम्मिलन के पश्चात् एक मास के अन्तराल से बुलाये गये द्वितीय विशेष सम्मिलन में उपस्थित सदस्य के तीन पंचमांश मतों द्वारा उसकी पुष्टि न कर दी गयी हो ।

चौथा–अध्याय

सदस्य, उनके अधिकार तथा विशेषाधिकार

16 सदस्यों का रजिस्टर– (1) प्रतिष्ठान–ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ता सोसायटी के प्रथम सदस्य होंगे।

(2) प्रत्येक सोसायटी अपने सदस्यों का एक रजिस्टर अपने प्रधान कार्यालय में बनाये रखेगी ओर उसमें निम्नलिखित विशिष्टियॉ दर्ज करेगी,अर्थात् –

(क) प्रत्येक सदस्य का नाम,पता तथा तारीख सहित हस्ताक्षरः

(ख) वह तारीख जिसको कि सदस्यों को प्रवेश दिया गया होः

(ग) वह तारीख जिसको की सदस्य न रहें हो ।

3 सदस्यों का रजिस्टर सोसायटी की सदस्यता का तथा उसमें दर्ज की गई समस्त बातों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगाः

परन्तु ऐसा कोई भी सदस्य जिसका अभिदान, तत्समय, छः मास से अधिक की कालावधि से बकाया हो,इस अधिनियम के अधीन सोसायटी की किन्ही भी कार्यवाहियों में मत देने का हकदार नहीं होगा।

4 यदि किसी सदस्य के प्रवेश या सदस्यता की समाप्ति के 30 दिन के भीतर सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्टियॉ न की जाए तो (व्यतिक्रम करने वाला प्रत्येक पदाधिकारी जुर्माने से जो पॉच सौ रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा)

———

1एव 2 म0प्र0संशोधन अधिनियम क्र029 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4 सितम्बर 1998 में प्रकाशित

17 सदस्यों पर व्यक्तियों की भॉति वाद चलाए जाने के दायी होंगे—

(1) रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के किसी भी ऐसे सदस्य के विरूद्ध,जिसपर कोई अभिदान, जिसका कि संदाय करने के लिए वह सोसायटी के विनियमों के अनुसार आबद्ध हो, बकाया हो या जो सोसायटी की कोई सम्पत्ति, ऐसी रीति में या ऐसे समय के लिए, जो ऐसे विनियमों के प्रतिकूल हों,अपने कब्जे में रखेगा या निरूद्ध करेगा या सोसायटी की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुचाएगा या उसे नष्ट करेगा, ऐसे बकाया के लिए या सम्पत्ति के ऐसे निरोध, क्षति या विनाश से प्रोदभूत होने वाली नुकसानी के लिए इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार वाद चलाया जा सकेगा।

(2) यदि प्रतिवादी किसी ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही में जो कि सोसायटी की प्रेरणा पर उसके विरूद्ध प्रस्तुत की गई हो,किया गया हो, सफल हो जाए और अपना खर्च वसूल करने के लिए न्याय निर्णित किया जाए, तो वह इस बात का चुनाव कर सकेगा कि उस खर्च की उस अधिकारी से, जिसके कि नाम से वाद चलाया जायेगा या सोसायटी से, वसूल करने की कार्यवाही करें और पश्चात् कथित मामले में उक्त सोसायटी की सम्पत्ति के विरूद्ध इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

18 अपराधों के दोषी सदस्य व्यक्तियों की भॉति दण्डनीय होंगे— सोसायटी का कोई भी सदस्य,जो ऐसी सोसायटी का कोई धन या अन्य सम्पत्ति चुराएगा,हडपेगा या गबन करेगा या जानबूझकर तथा विद्वेषतावश ऐसी सोसायटी की सम्पत्ति को नष्ट करेगा या क्षति पहुॅचायेगा या किसी विलेख, बंधपत्र, धन की प्राप्ति के लिए प्रतिभूति या अन्य लिखित को कूटरचित करेगा, जिससे कि सोसायटी की निधियों को हानि पहुॅचने की आशंका हो,उसी प्रकार के अभियोजन के अधीन होगा और यदि सिद्ध दोष ठहराया जाए,तो वैसी ही रीति में दण्डित किए जाने का भागी होगा,जिस प्रकार कि सदस्य से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति उसी प्रकार के

अपराध के संबंध में अभियोजन के अधीन होता तथा दण्डित किए जाने का भागी होता।

19 उपविधि के अधीन प्रोदभूत होने वाली शास्ति की वसूली – जब कभी सोसायटी के विनियमों के अनुसार समयक रूप से बनाई गई किसी उपविधि द्वारा सोसायटी के किन्ही विनियमों या किसी उपविधि के भंग के लिए कोई धन संबंधी शास्ति अधिरोपित की जाए, सो ऐसी शास्ति, प्रोदभूत होने पर, उस स्थान पर, जहॉ की प्रतिवादी निवास करता हो या जहां की सोसायटी स्थित हो, जिसे भी उसका शासी निकाय समीचीन समझे, अधिकारिता रखने वाले किसी भी न्यायालय में वसूल की जा सकेगी।

पांचवा–अध्याय
सोसायटियों की सम्पत्ति तथा निधियॉ

20 सोसायटियों की सम्पत्ति किस प्रकार निहित होगी– इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई किसी सोसायटी की जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति यदि वह न्यासियों में निहित न हुई हो तो तत्समय ऐसी सोसायटी के शासीनिकाय में निहित हुई समझी जाएगी और समस्त सिविल तथा दाण्डिक कार्यवाहियों में उचित नाम से सोसायटी के शासीनिकाय की सम्पत्ति के रूप में वर्णित की जायेगी।

21 (1) सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या विक्रय या अन्तरण रजिस्ट्रार की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं करेगी– सोसायटी द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जायेगी ।

(2) अर्जित या अन्तरित की गई सम्पत्ति का उपयोग, सोसायटी के उद्देश्यों से भिन्न किसी उद्देश्य के लिए तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की रजिस्ट्रार से अनुज्ञा अभिप्राप्त न कर ली गई हो तथा दान की दशा में दाता की लिखित सहमति भी अभिप्राप्त न कर ली गई हो ।

(3) उपधारा (1) तथा(2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन ऐसे प्रारूप में ऐसे दस्तावेजों सहित तथा ऐसी फीस के साथ, जैसे की विहित की जाए,किया जायेगा।

(4) जहॉ कोई सोसायटी उपधारा (1) या (2) के उपबंधों का उल्लंघन करती है वहां सोसायटी ऐसी रकम जैसी की विहित की जाए, रजिस्ट्रार

द्वारा जारी किए गए नोटिस की तारीख से तीन मास के भीतर जमा करने के लिए दायी होगी और यदि सोसयटी ऐसी रकम पूर्वोक्त समय के भीतर जमा करने में असफल रहती है तो सोसायटी की धारा 34 के अधीन निष्क्रिय समझा जाएगा।

22 सोसायटी द्वारा तथा उसके विरूद्ध वाद – प्रत्येक सोसायटी उसके अध्यक्ष या सभापति या प्रधान सचिव या न्यासियों के नाम से, जैसा कि सोसायटी के विनियमों द्वारा अवधारित किए जाए और इस प्रकार अवधारित न किए जाने की दशा में उस व्यक्ति के जो कि शासीनिकाय द्वारा उस निमित्त नियुक्त किया जाए, नाम से वाद चला सकेगी या उसी नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जा सकेगाः

परन्तु यदि शासी निकाय को आवेदन करने पर किसी अन्य अधिकारी या व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में नाम निर्दिष्ट न किया जाए तो सोसायटी के विरूद्ध दावा या मांग करने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह उसके अध्यक्ष या सभापति या प्रधान सचिव या न्यासियों के विरूद्ध वाद चलाये।

23 वाद का उपशमन नहीं होगा–किसी सिविल न्यायालय के किसी भी वाद उपशमन इस कारण नहीं होगा या उसमें की कोई भी कार्यवाही इस कारण बन्द नहीं होगी कि उस व्यक्ति की, जिसके कि द्वारा या जिसके कि विरूद्ध ऐसा बाद चलाया गया हो या ऐसी कार्यवाही की गयी हो, मृत्यु हो गयी हो या वह उस हैसियत में, जिस नाम से कि वह व्यक्ति वाद चलाता या जिस नाम से कि उस व्यक्ति के विरूद्ध वाद चलाया जाता, नहीं रह गया है,किन्तु वही वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम से या उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी के विरूद्ध चालू रखी जायेगी/रखा जायेगा।

24 सोसायटी के विरूद्ध निर्णय का प्रवर्तन– (1) यदि सोसायटी की ओर से नामित व्यक्ति या अधिकारी के विरूद्ध कोई निर्णय हो जाये, तो ऐसा निर्णय ऐसे व्यक्ति या अधिकारी की जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विरूद्ध या उसके शरीर के विरूद्ध प्रवर्तित नहीं किया जायेगा अपितु उसे सोसायटी की सम्पत्ति के विरूद्ध प्रवर्तित किया जायेगा।

(2) निष्पादन संबंधी आवेदन में निर्णय उपवर्णित किया जायेगा, यह तथ्य उपवर्णित किया जायेगा कि उस पक्षकार ने जिसके विरूद्ध निर्णय हुआ है सोसायटी की ही ओर से वाद चलाया है या उस वक्त पक्षकार के

विरूद्ध सोसायटी के ही निमित्त वाद चलाया गया है,जैसी भी कि दशा हो और उसमें (आवेदन में) यह अपेक्षा की जायेगी कि निर्णय सोसायटी की सम्पत्ति के विरूद्ध प्रवर्तित किया जाये।

25 सोसायटी द्वारा लेखा पुस्तकों का रखा जाना– (1) प्रत्येक सोसायटी अपने प्रधान कार्यालय पर निम्नलिखित के संबंध में उचित लेखा रखेगीः–

(क) सोसायटी द्वारा प्राप्त की गयी तथा 'व्यय की गई समस्त धनराशियॉ और वे बातें जिनकी की बाबत धनराशियॉ प्राप्त होती हों तथा उनका व्यय होता होःऔर

(ख) सोसायटी की आस्तियॉ तथा दायित्व।

(2) लेखा पुस्तकें,सोसायटी के कार्यालय समय के दौरान, सोसायटी के पदाधिकारी या सदस्यों के या रजिस्ट्रार के निरीक्षण के लिये खुली रहेंगी।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये,उचित लेखा पुस्तकें उनमें विनिर्दिष्ट की गयी बातों के संबंध में रखी गयी नहीं समझी जायेगी यदि वे सोसायटी के कार्यकलापों की स्थिति का सही तथा साफ चित्र प्रस्तुत न करती हों और उसके संव्यवहारों को स्पष्ट न करती हों।

26 अभिलेखों आदि का अधिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति– (1) जहॉ कि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि –

(क) किसी सोसायटी के अभिलेख,रजिस्टर या लेखा पुस्तकों का बिगाडा जाना या नष्ट किया जाना संभाव्य है तथा किसी सोसायटी की निधियों एवं सम्पत्ति या दुर्विनियोजन या दुरूपयोजन किया जाना संभाव्य हैःया

(ख) यदि किसी सोसायटी की शासी निकाय का सोसायटी के साधारण सम्मेलन में पुनर्गठन हुआ हो और उस शासी निकाय के बहिर्गामी सदस्यों ने सासायटी के अभिलेखों तथा सम्पत्ति का भार उन व्यक्तियों को, जिन्हें कि ऐसा भार प्राप्त होना हो या जो ऐसा भार प्राप्त करने के हकदार हों,सौपने से इंकार कर दिया है। वहॉ रजिस्ट्रार, अपने द्वारा लिखित में सम्यक्–रूपेण प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को यह निर्देशित करते हुए आदेश जारी कर सकेगा कि वह उस सोसायटी की ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों, निधियों एवं सम्पत्ति का अधिग्रहण कर ले तथा उनका कब्जा ले ले और सोसायटी के वे अधिकारी जिन पर ऐसी पुस्तकों,अभिलेखों,निधियों तथा सम्पत्ति की अभिरक्षा का उत्तरदायित्व हो, इस प्रकार प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को उनका परिदान करेंगे/करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये रजिस्ट्रार ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा तथा ऐसे न्यूनतम

बल का,जिसमें पुलिस बल सम्मिलित है, प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जो कि आवश्यक समझा/समझी जाये।

छटवॉ–अध्याय
वार्षिक विवरणियॉ, संपरीक्षा, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण

27 शासी निकाय की वार्षिक सूची फाइल की जायेगी– प्रत्येक वर्ष में एक बार, उस दिन के, जिसको कि सोसायटी के विनियमों के अनुसार सोसायटी का वार्षिक साधारण सम्मिलन किया गया हो,पश्चात् आने वाले पैंतालीसवें दिन या उसके पूर्व या जब सोसायटी के विनियम में वार्षिक साधारण सम्मिलन करने का उपबंध न हो तो 31 जनवरी से पैंतालीस दिन के भीतर, सोसायटी के अध्यक्ष या सचिव द्वारा ऐसे प्ररूप में ऐसे दस्तावेजों सहित तथा ऐसी फीस के साथ जो कि विहित की जाए, शासी निकाय के पूरे नामों, स्थायी पते तथा मुख्य उपजीविकाओं एवं अन्य बातों, यदि कोई हो,की एक सूची हस्ताक्षरों सहित रजिस्ट्रार के पास फाईल की जाएगीः

परन्तु रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, अनुपालन के लिए पन्द्रह दिन से अनधिक और समय दे सकेगाः

परन्तु यह और भी कि यदि सोसायटी विहित समय–सीमा के भीतर या बढाए गए समय के भीतर, सूची फाइल करने में असफल रहती है तो वह, यथास्थिति, विहित समय या बढाए गए समय के अन्तिम दिन से तीन दिन के भीतर सूची ऐसी विलब फीस के साथ, जैसी कि विहित की जाए,फाइल कर सकेगी।

धारा 28 संपरीक्षा तथा निरीक्षण–(1) प्रत्येक सोसायटी ''सोसायटी के वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से यह जहां विनियम में किसी वार्षिक साधारण सम्मिलन के लिये उपबंध नहीं है'' वहां प्रत्येक वर्ष अप्रैंल माह की तरीख से 90 दिन के भीतर संपरीक्षको व्दारा सम्यकरूपेण संपरीक्षित पूर्व विशिष्टियो सहित आय तथा व्यय का विवरण पूर्ववर्ती वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट तथा तुलना पत्र (बेलेंस शीट) समस्त वित्तीय कियाकलप के साथ तथा ऐसी फीस सहित जैसी कि विहित की जाए, रजिस्ट्रार को भेजेगी । यदि सोसायटी उपर्युक्त विवरण नियत समय के भीतर भेजने में असफल रहती है तो सोसायटी ऐसी बिलम्ब

फीस संदत्त करने की दायी होगी जैसी कि विहित की जाय रजिस्ट्रार ऐसे विवरण के प्राप्त होने पर विवरण का सत्यापन करेगा ओर यह सुनिश्चित करेगा कि निधियो का उपयोग सोसायटी ओर उसके उद्देश्यो की अभिवृध्दि के लिये किया गया है ओर वह निधियों के उपयोग के संबंध में ऐसे अनुदेश भी जारी कर सकेगा,जैसा कि वह उचित समझेः

परन्तू एक लाख से अधिक का संव्यवहार करने वाली सोसायटी के लेखे चाटर्ड एकाउन्टेन्ट व्दारा सम्यकरूपेण संपरीक्षित रूप में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किये जाऐगे ।

(2) यदि रजिस्ट्रार विशेष संपरीक्षा करना आवश्यक समझे, तो वह किसी भी सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा स्वयं कर सकेगा या उसके द्वारा इस संबंध में लिखित संधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी भी व्यक्ति से करवा सकेगा ।

(3) रजिस्ट्रार द्वारा,लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी भी व्यक्ति की, किसी सोसायटी की समस्त लेखा पुस्तकों तथा अन्य कागज पत्रों तक समस्त समयों पर पहुॅच होगी और सोसायटी का प्रत्येक अधिकारी सोसायटी के लेखाओं तथा उसके कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा, जो कि ऐसा निरीक्षण करने वाला व्यक्ति अपेक्षित करे।

29 दस्तावेजों का निरीक्षण– कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल किये गये समस्त दस्तावेजों या उनमें से किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा या ऐसी फीस जैसी कि विहित की जाए, के साथ आवेदन फाइल करके ऐसे किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि या उसका उद्धरण जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जायेगा,की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि उसमें अंतर्विष्ट बातों के संबंध में चाहे वे किसी भी प्रकार की हों,समस्त विधिक कार्यवाहियों में प्रथम दृष्टया साक्ष्य होंगी।

30 हाजिर कराने आदि की शक्तियॉ–उन्हीं साधनों द्वारा यथा संभव उसी रीति में,जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) द्वारा सिविल न्यायालय के मामले में उपबन्धित हो/हैं, साक्षियों को जिनके अंतर्गत हितबद्ध पक्षकार आते हैं या उनमें से कोई भी आता है, समन करने तथा उन्हें हाजिर कराने और उन्हें साक्ष्य देने के लिये विवश करने तथा दस्तावेजें पेश करने के लिये विवश करने की रजिस्ट्रार को शक्ति होगी।

31 जानकारी मंगाने की रजिस्ट्रार की शक्ति– (1) जहॉ कि किसी ऐसे दस्तावेज का, जिसका कि किसी सोसायटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, परिशीलन करने पर रजिस्ट्रार की राय हो कि कोई जानकारी या स्पष्टीकरण इसलिए

आवश्यक है कि जिससे ऐसी दस्तावेज उस विषय की,जिससे कि उसका संबंधित होना तात्पर्यित है, पूर्ण विशिष्टियॉ दे सके,तो वह दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली सोसायटी से लिखित आदेश द्वारा,यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण ऐसे समय के भीतर जिसे कि वह उस आदेश मे विनिर्दिष्ट करें,लिखित में दे।

(2) सोसायटी को उपधारा (1) के अधीन आदेश प्राप्त हो जाने पर,सोसायटी का तथा समस्त ऐसे व्यक्तियों का, जो कि सोसायटी के अधिकारी हैं,यह कर्तव्य होगा कि वे अपनी शक्ति भर ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण दें।

(क) इस अध्याय में 'रजिस्ट्रार से अभिप्रेत होगा मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय) अधिनियम, 1978 की धारा 2 के खंड (ग) के अर्थ के अन्तर्गत शिक्षा अधिकारी।

———————————————————————————————————————

1एवं2 म0प्र0 संशोधन अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित । म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4 सितम्बर 1998 में प्रकाशित।

सातवॉ अध्याय–जॉच तथा अतिष्ठान

32 जांच तथा विवादों का निपटारा– (1)रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से, या उपधारा (2) के अधीन किये गये आवेदन पर या तो स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे कि उसने लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो, किसी सोसायटी के गठन,कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति की जॉच कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किये गये प्रकार की जॉच–

(क) सोसायटी के शासी निकाय के सदस्यों में से अधिकांश सदस्यों के आवेदन पर से उसकी अन्तर्वस्तु के समर्थन में एक शपथपत्र के साथ की जायेगीः या

(ख) सोसायटी की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के आवेदन पर से की जावेगी ।

(3) रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को इस धारा के अधीन जॉच के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शक्तियॉ होंगी, अर्थात्

(क) सोसायटी की या उसकी अभिरक्षा में की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नगदी तथा अन्य सम्पत्तियों तक उसकी अबाध पहुॅच समस्त समयों पर रहेगी और किसी भी ऐसे व्यक्ति को,जो किन्हीं भी ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नगदी या सम्पत्तियों का कब्जा रखता हो या उनकी अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी हो, उक्त पुस्तकें,लेखे, दस्तावेजों, प्रतिभूतियॉ, नगदी या अन्य सम्पत्तियॉ, यदि वे सोसायटी के प्रधान कार्यालय से संबंधित हों,तो उसके मुख्यालय पर किसी भी स्थान पर तथा यदि सोसायटी की किसी शाखा से संबंधित हो तो उस नगर के,जिसमें कि उसकी शाखा स्थित हो, किसी स्थान पर या अपने स्वयं के कार्यालय में पेश करने के लिये समन कर सकेगाः

(ख) वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे सोसायटी के कार्यकलापों में से किसी भी कार्यकलाप की जानकारी है सोसायटी के मुख्यालय पर के किसी भी स्थान पर या उसकी किसी शाखा में या अपने स्वयं के कार्यालय में अपने समक्ष उपसंजात होने के लिये समन कर सकेगा तथा ऐसे व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा कर सकेगाः और

(ग) (एक) वह,सोसायटी के साधारण सम्मिलन के लिये सूचना की कालावधि विनिर्दिष्ट करने वाले किसी विनियम या उपविधि के होते हुए भी, सोसायटी के अधिकारियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे सोसायटी के प्रधान कार्यालय पर या सोसायटी के मुख्यालय पर के किसी अन्य स्थान पर ऐसे समय पर जैसा कि उसके द्वारा निर्देशित किया जाये,सोसायटी का साधारण सम्मिलन बुलावे तथा ऐसे मामलों का जिनके कि सम्बन्ध में उसके द्वारा निर्देशित किया जाये, अवधारण करें और जहॉ सोसायटी के अधिकारी ऐसा सम्मिलन से इंकार करे या बुलाने से चूक जाय वहॉ उसे वह सम्मिलन स्वयं बुलाने की शक्ति होगी।

(दो) उपखंड (1) के अधीन बुलाये गये किसी सम्मिलन को सोसायटी के विनियमों या उपविधियों के अधीन बुलाये गये साधारण सम्मिलन की समस्त शक्तियॉ होंगी तथा उसकी कार्यवाहियॉ ऐसी उपविधियों द्वारा विनियमित होंगी।

(4) जब इस धारा के अधीन कोई जांच की जाये तो रजिस्ट्रार जांच का परिणाम सोसायटी को संसूचित करेगा और सोसायटी को समुचित निर्देश जारी कर सकेगा जो समस्त संबंधित पक्षकारों पर आबद्धकर होंगे ।

33 शासी निकाय का अतिष्ठान– (1) यदि राज्य सरकार की राय में किसी राज्य सहायता प्राप्त सोसायटी का शासी निकाय–

(क) उन कर्तव्यों का, जो कि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या सोसायटी के विनियमों या उपविधियों के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के द्वारा या अधीन या ऐसे किसी विधिपूर्ण आदेश के द्वारा जो राज्य सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो उस पर अधिरोपित किये गये हैं,पालन करने में बार–बार व्यतिक्रम करता है, या उनका पालन करने में उपेक्षा करता है या ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिये रजामंद नहीं हैः या''

(ख) ऐसे कार्य करता है जो सोसायटी के या उसके सदस्यों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैःया

(ग) अन्यथा उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है, तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा उस शासीनिकाय को हटा सकेगी तथा सोसायटी के काम–काज का प्रबंध करने के लिये किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये, जो प्रथमतः दो वर्ष से अधिक नहीं होगी,नियुक्त कर सकेगीः

परन्तु जहॉ सोसायटी के शासी निकाय को केवल इस आधार पर हटाना प्रस्तावित हो कि शासी निकाय के लिये निर्वाचन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों या उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार नहीं कराया गया था,वहॉ उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि रजिस्ट्रार या उसके द्वाराइस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियम या उपविधियों के अनुसार उसके (शासी निकाय के) लिये निर्वाचन कराने हेतु साधारण निकाय का सम्मिलन न बुलाया हो और वह नवीन शासी निकाय को निर्वाचित करा लेने में असफल न रहा हो :

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये अधिकारी को निर्वाचन कराने के प्रयोजन के लिये,इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों या उपविधियों के अधीन समस्त आवश्यक शक्तियॉ होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर शासी निकाय को न दिया गया हो और उसके द्वारा अभ्यावेदन किया जाने की दशा में उस अभ्यावेदन पर विचार न कर लिया गया हो।

(3)उपधारा(1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि राज्य सरकार के विवेकानुसार समय–समय पर बढाई जा सकेगीः

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक कालावधि के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

(4) इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों को, रजिस्ट्रार के नियन्त्रण के तथा अनुदेशों के जो कि वह समय – समय पर दे, अध्यधीन रहते हुए,शासी निकाय के या सोसायटी के किसी अधिकारी के समस्त कृत्य या उनमें से कोई भी कृत्य करने की और ऐसी समस्त कार्यवाहियां जो कि सोसायटी के हित में अपेक्षित हों, करने की शक्ति होगी ।

(5) राज्य सरकार इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों को पारिश्रमिक नियत कर सकेगी, ऐसे पारिश्रमिक की रकम तथा अन्य खर्चे यदि कोई हो जो सोसायटी के प्रबंध में किये गये हों उसकी (सोसायटी की) निधियों में से देय होंगे।

(6) इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति या अनियुक्त किये गये व्यक्ति उसकी या उनकी नियुक्ति की कालावधि का अवसान होने पर सोसायटी के विनियमों के अनुसार नवीन शासी निकाय का गठन करने के लिये व्यवस्था करेगा/करेंगे।

(7) यदि किसी बात के बारे में सोसायटी के साधारण निकाय तथा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच मतभेद हो तो वह रजिस्ट्रार को विनिश्चय के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(8) सूचना के जारी किये जाने तथा शासी निकाय को हटाने संबंधी आदेश पारित किये जाने के बीच की कालावधि के दौरान, शासी निकाय से राज्य सरकार द्वारा यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह (शासी निकाय) ऐसे प्राधिकारी के जिसे कि सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें, पर्यवेक्षण के अधीन तथा उसके अनुमोदन से कृत्य करें और शासी निकाय द्वारा दिया गया कोई आदेश या पारित किया गया कोई संकल्प या दिया गया कोई अन्य कार्य तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे विनिर्दिष्ट किये गये प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

आठवॉ अध्याय– सोसायटियों का विघटन

34 सोसायटियों के विघटन और उनके कार्यकलापों के समायोजन के लिये उपबन्ध–(1)किसी भी सोसायटी के उतने सदस्य, जो उसके सदस्यों के तीन–पंचमांश से कम न हों,यह अवधारित कर सकेंगे कि उसका विघटन कर दिया जाये और तदुपरि वह तत्काल या उस समय,जबकि सहमति हो जाये, विघटित कर दी जायेगी तथा सोसायटी की सम्पत्ति उसके दावों एवं दायित्वों के निपटारे तथा परिनिर्धारण के लिये उक्त सोसायटी को लागू होने वाले उसके विनियमों, यदि कोई हो के अनुसार और यदि विनियम न हों तो जैसा कि शासी निकाय समीचीन समझे, समस्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगीः

परन्तु सोसायटी के उक्त शासी निकाय या सदस्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में, उसके कार्यकलापों का समायोजन,उस जिले के, जिसमें सोसायटी का मुख्य भवन स्थित हो आरम्भिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय को निर्देशित किया जायेगा, और न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश करेगा जो कि वह उचिव समझेः

परन्तु यह और भी कि कोई भी सोसायटी तब तक विघटित नहीं की जायेगी जब तक कि इस प्रयोजन के लिए बुलाये गये साधारण सम्मेलन में उसके सदस्यों के तीन पंचमांश सदस्यों ने स्वयं या परोक्षी द्वारा मत देकर ऐसे विघटन के लिए इच्छा अभिव्यक्त न कर दी होः

परन्तु यह भी कि जब कभी सरकार ,किसी सोसायटी का सदस्य हो या उसका अंशदाता हो या उसमें अन्यथा हितबद्ध हो, तो ऐसी सोसायटी सरकार की सम्मति के बिना विघटित नहीं की जायेगी ।

(2) यदि रजिस्ट्रार की, उसे जानकारी प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह राय हो कि कोई सोसायटी निष्क्रिय हो गयी है, या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों या उपविधियों के उपबन्धों का पालन करने में बार–बार व्यतिक्रम करती रही है तो वह (रजिस्ट्रार) सोसायटी पर सूचना की तामील करके, सूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि, जो तीस दिन से कम नहीं होगी, भीतर, शासी निकाय से यह कारण दर्शाने की अपेक्षा कर सकेगा कि क्यों न सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जावे।

(3) रजिस्ट्रार,प्राप्त हुये उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् सूचना की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाने पर की सोसायटी के चालू रहने में किसी उपयोगी प्रयोजन की पूर्ति होना संभाव्य नहीं है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट की गयी तारीख से उस सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, और उस आधार पर सोसायटी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विघटित हुई समझी जायेगी।

35 विघटन होने पर किसी भी सदस्य को लाभ प्राप्त नहीं होगा– यदि किसी सोसायटी का विघटन हो जाने पर उसके समस्त ऋणों तथा दायित्वों का चुकारा किया जाने के पश्चात् कुछ भी सम्पत्ति बाकी बच जाये, तो उस सम्पत्ति का उक्त सोसायटी के सदस्यों को या उनमें से किसी भी सदस्य को संदाय नहीं किया जायेगा या वह उनमें वितरित नहीं की जायेगी अपितु वह किसी अन्य ऐसी सोसायटी को दी जायेगी जिसका कि अवधारण विघटन के समय व्यक्तिशः या परोक्षी द्वारा उपस्थित सदस्यों के कम से कम तीन पंचमांश सदस्यों के मतों द्वारा या ऐसा न होने की दशा में, धारा 34 में विनिर्दिष्ट न्यायालय द्वारा दिया जायेगाः

परन्तु यह धारा ऐसी सोसायटी को लागू नहीं होगी जो अंशधारियों के अभिदायों द्वारा जॉइन्ट स्टॉक कम्पनी के रूप में प्रारंभ की गई या स्थापित की गई हो।

36 (1) विघटन के पश्चात् इस बात का अवधारण कि सम्पत्ति का उपयोग सरकार द्वारा किया जायेगा– धारा 35 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 34 के अधीन विघटित हुई किसी सोसायटी के सदस्यों के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वे ऐसी सोसायटी के विघटन के समय व्यक्तिशः या परोक्षी द्वारा उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा, यह अवधारित करें कि सोसायटी समस्त ऋणों तथा दायित्वों का चुकारा किये जाने के पश्चात् जो कुछ भी सम्पत्ति बाकी बचे वह सरकार को दी जाये और सरकार द्वारा उपयोग इस अधिनियम की धारा 2 में निर्दिष्ट किये गये प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिये किया जायेगा।

(2)धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिए जाने की दशा में, सोसायटी या उसकी संस्था या उसके केन्द्रों की जंगम तथा स्थावर आस्तियां, राज्य सरकार में मदद, अनुदान, सहायता या संदान की उस सीमा तक निहित हो जाएंगी जिसे सोसायटी ने केन्द्र या राज्य सरकार या किन्हीं कानूनी निकायों से प्राप्त किया हो, उस जिले के, जहां वह सम्पत्ति स्थित है, कलेंक्टर का यह कर्तव्य होगा कि रजिस्ट्रार द्वारा सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने की प्रज्ञापना पर वह उसका प्रभार ग्रहण करें ।

नवॉ अध्याय– अपराध तथा शास्तियॉ

37 अपराधों का संज्ञान– (1) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2)कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कि उसके (रजिस्ट्रार के) द्वारा इस संबंध में लिखित में प्राधिकृत किया गया हो,किये गये परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

परन्तु कोई भी न्यायालय धारा 38 की उपधारा (1), जैसी कि वह मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम,1978 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी है, के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे, किये गये परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नही।

38 धारा 27 का पालन न करने पर मिथ्या प्रविष्टि के लिये शास्ति–(1)यदि अध्यक्ष, सचिव या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो सोसायटी के शासी निकाय के संकल्प द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया गया हो–

(क) धारा 27 के उपबन्धों का अनुपालन न करें: या

(ख) मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम, 1978 की धारा 4 के अधीन दिये गये किसी निर्देश का या धारा 3 या धारा 5 या धारा 6 के उपबन्धों का पालन न करे:

तो वह दोषसिद्धि पर–

(एक) उस दशा में जबकि अपराध खण्ड (क) के अधीन आता है, जुर्माने से जो पॉच सौ रूपये तक का हो सकेगा, तथा चालू रहने वाले भंग की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसके कि दौरान भंग चालू रहे, पचास रूपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा,

(दो) उस दशा में जबकि अपराध खण्ड (ख) के अधीन आता है, कारावास से , जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से तथा द्वितीय पश्चात्वर्ती अपराध के लिये कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पॉच हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 27 द्वारा अपेक्षित की गई सूची में या रजिस्ट्रार को भेजे गये किसी विवरण में या विनियम की प्रतिलिपि में या विनियम में किये गये परिवर्तनों में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या उनमें कोई लोप करेगा या करवाएगा, तो वह दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

39 धारा 38 तथा 31 के उल्लंघन के लिये शास्ति– यदि धारा 28 तथा 31 की उपधारा (2) में तथा निर्दिष्ट कोई सोसायटी या कोई व्यक्ति उन धाराओं के अधीन अपेक्षित जानकारी या स्पष्टीकरण देने से इंकार करेगा या देने में

उपेक्षा करेगा तो वह सोसायटी या ऐसा व्यक्ति दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे अपराध की बाबत बीस रूपये तक हो सकेगा,दण्डित किया जायेगा।

दसवॉ अध्याय– अपील

40 अपील– (1) अपील निम्नलिखित को होगी–

(क) यदि आदेश धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार द्वारा मूल मामले (केस) में या खण्ड (ख) के अधीन अपील में किया गया है तो राज्य सरकार को:

(ख) यदि ओदश, धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किए गए अधीनस्थ अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है तो धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार को

(2) उपधारा(1) के अधीन अपील आदेश की संसूचना की तारीख के दो मास के भीतर फाईल की जायेगी:

परन्तु अपील प्राधिकारी ऐसी कालावधि के अवसान होने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधन कर दें कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील न करने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण था।

ग्यारहवॉ अध्याय – प्रकीर्ण

41 रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी लोक सेवक होंगे– ऐसे प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या उनका प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

42 सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यो के लिये परित्राण– रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में जो उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका कि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित हो कोई बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियॉ नहीं होगी।

43 नियम बनाने की शक्ति– (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे।

44 निरसन– इस अधिनियम का प्रारम्भ होने पर मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1959 (क्रमांक 1 सन्1960) निरस्त हो जायेगा।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम 1998[1]

(मध्यप्रदेश राजपत्र '' असाधारण दिनांक 11.12.1998 के

पृष्ठ 201 पर प्रकाशित)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल दिनांक 24 नवम्बर 1998

क्रमांक एफ–1(एक) 42–98–अ–ग्यारह – मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 43 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है।, अर्थात–

1– **संक्षिप्त नाम – (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम 1998 है।**

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2– **परिभाषाएँ–** इन नियमों में,कि जब तकसन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

क– **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है। मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन! 1973)

ख– **''प्ररूप''** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप :

ग– **''व्यक्तिक्रमी सोसायटी ''** से अभिप्रेत है ऐसी सोसायटी जो नियमों तथा विनियमोंया अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन तथा पालन करने मेंबार बार व्यक्तिक्रम कर रही है जो जिसे अधिनियम की धारा 34 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा निष्क्रिय माना गया हों ,

ध– **''अनुसूची''** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ।

ड– ''धारा– '' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा :

च– ''सोसायटी '' से अभिप्रेत है ऐसी सोसायटी जिसे अधिनियम लागू होता है।

3– **<u>सोसायटी का ज्ञापन –</u>** किसी सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण हेतु धारा 5 के अधीन फाइल किया जाने वाला सोसायटी का प्रत्येक ज्ञापन प्ररूप एक में या ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि परिस्थितियों के अनुरूप ग्राह्य हो।

4– **फीस –** अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय फीस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी और सरकारी खजाने में जमा की जाएगी और खजाना चालान की एक प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी फीस रजिस्ट्रार केकार्यालय में भी उसकी रसीद अभिप्राप्त करके जमा की जा सकेगी।

5– **शास्ति–**

1– यदि कोई सोसायटी, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के उपबंधों का अतिक्रमण करती है तो वह सोसायटी नियम 4 के अधीन देय फीस की दुगुनी रकम जमा करने के दायित्वाधीन होगी और यदि कोई सोसायटी धारा 21 की उपधारा **(2)** के उपबंधों का अतिक्रमण करती है तो यह सोसायटी, सम्पत्ति की लागत की 20 प्रतिशत रकम जमा करने के दायित्वाधीन होगी।

(2) किसी सोसायटी द्वारा धारा 27 तथा 28 के अधीन देय विलम्ब फीस , नियम 4 के अधीन देय फीस की रकम की दुगुनी होगी।

6– **रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र –** रजिस्ट्रार द्वारा धारा 7 के अधीन जारी किया जाने वाला रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्ररूप दो में होगा

7– **रजिस्टर का रखा जाना** रजिस्ट्रार द्वारा एक रजिस्टर प्ररूप तीन में रखा जाऐगा जिसमें अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटियों के नाम होगें।

8– **आदेश तामिल करने की रीति** – धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन किसी सोसायटी पर किसी आदेश की तामिली,उससोसायटीके ज्ञापन में उल्लिखित सोसायटी के पते परया ऐसे अन्य पते पर जो सोसायटी द्वारा दिया गया हो, डाक प्रमाण पत्र द्वारा की जाऐगी।

9– **सोसायटी के ज्ञापन , नियमों तथा विनियमों में संशोधन और नाम में परिवर्तन –** जब कभी धारा 10 तथा 13 के कअधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी द्वारा ज्ञापन नियमों तथा विनियमों में संशोधन या उसके नाम में परिवर्तन करना प्रस्तावित हों, वहॉ उसे रजिस्ट्रार को प्ररूप चार में अग्रेषित किया जाएगा और किसी सोसायटी के नाम में परिवर्तन की दशा में सोसायटी अपना रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार को प्ररूप चार के साथ लौटाएगी और ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार प्ररूप पांच में एक प्रमाण– पत्र उसमें आवश्यक परिवर्तन सन्निविष्ट करते हुये जारी करेगा।

10– **स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने या उसके अन्तरण के लिये अनुज्ञा अभिप्राप्त करने हेतु आवेदन –** अधिनियम की धारा 21 के अधीन

स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने या उसके अन्तरण की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने हेतु आवेदन प्ररूप छह में प्रस्तुत किया जाएगा।

11— **वार्षिक विवरणी** — धारा 27 के अधीन वार्षिक विवरणी प्ररूप — सात में प्रस्तुत की जाएगी।

12— **निरसन तथा व्यावृत्ति —** मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम 1975 एतद् द्वारा निरस्त किये जाते है। :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानों उपबंधोंके अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची

(नियम—4 देखिये)

अधिकतम फीस

	1	2
1—	**धारा 7 के अधीन** सोसायटी का रजिस्टकरण	रूपये1000.00
2—	धारा 7 के अधीन महिला मण्डल का रजिस्ट्रीकरण	रूपये 200.00
3—	धारा 7 के अधीन युवक मण्डल का रजिस्ट्रीकरण	रूपये 100.00
4—	धारा10 के अधीन प्रत्येक संशोधन	रूपये 200.00
5—	धारा 21 की उपधारा(3) के अधीन (क)	

	उपधारा (1) के अधीन आवेदन –	
	(1) क्रय तथा विक्रय के लिये	क्रय का 2 प्रतिशत
	अनुज्ञा हेतू	विक्रय का 5 प्रतिशत
	दो– प्रत्येक दान के लिये	रूपये 5000.00
	(ख) उपधारा (2) के अधीन स्थावर सम्पत्ति के अन्यथा उपयोग हेतु	रेखांक (प्लान) की लागत का10 प्रतिशत या रू. 10000/– इसमें से जो भी अधिक हो
6–	धारा 27 के अधीन विवरणी प्रति वर्ष	रूपये 200.00
7–	धारा 28 के अधीन संपरीक्षित विवरण प्रतिवर्ष	रूपये 200.00
8–	धारा 29 के अधीन प्रतियॉ	रूपये 20.00 प्रति पृष्ठ सामान्य रूपये 40.00 प्रति पृष्ट अत्यावश्यक रूपये 100.00 निरीक्षण प्रति रजिस्टर रू0 100.00 निरीक्षण विवरणी/मूल फाईल ।

प्रारूप – एक

(नियम 3 देखिये)

सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसायटी का ज्ञान

1— सोसायटी का नाम – – – – – – – – – – – – होगा

2— सोसायटी का प्रधान कार्यालय – – – – – – तहसील – – – जिला– – – – में स्थित होगा और इसका पता – – – – – – होगा

3— सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होगें

1—

2—

3—

4—

4— सोसायटी के काम काज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर परिषद संचालकों समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है। जिसनके नाम पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है।

अनुक्रमांक	नाम	पता	उपजीविका
1	2	3	4
1—			
2—			
3—			
4—			
5—			
6—			
7—			

5— मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 क्रमांक44 सन!1973 की धारा 6 की उपधसारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम का सम्यकरूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई है। हम विभिन्न व्यक्तियों जिनके नाम औरपतेनीचे लिखे गये है।, उपरोक्त प्रतिष्ठान ज्ञापन के अनुसरण में सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है।'

अनुक्रमांक	अभिदाताओं के नाम तथा पूर्ण पते पिता/पति के नाम सहित	हस्ताक्षर
1	2	3
1–		
2–		
3–		
4–		
5–		
6–		
7		

तारीख

प्रति,

सोसायटियों का रजिस्ट्रार

साक्षी

हस्ताक्षर– – – – – – – –

नाम– – – – – – – – –

पूर्ण पता – – – – – – –

प्रारूप दो–

(नियम 7 देखियें)

मध्यप्रदेश शासन

(मोनो)

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

क्रमांक.....

यह प्रमाणित कियाजाता है कि..... सोसायटी जो ..... तहसील ..... जिला ..... में स्थित हैं, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण

अधिनियम 1973 (क्रमांक44 सन! 1973) के अधीन तारीख ..... की रजिस्ट्रीकृत की गई है।

मुद्रा सोसायटियों का रजिस्ट्रार

प्रारूप तीन–

नियम – 7 देखिये

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973

(क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटियों का रजिस्टर

अनुक्रमांक	सोसायटी का नाम तथा पता	प्रतिष्ठान को रजिस्ट्रीकरण फाई करनेकी की तारीख तारीख	
1	2	3	4
प्रतिष्ठान ज्ञापन	सोसायटी	सोसायटी के रजिस्ट्रार	टिप्पणी

को फाईल करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता	के नाम में परिवर्तन केलिये	विनियमों में संशोधनों के लिये प्रस्ताव का संकल्प का क्रमांक तथा तारीख	के हस्ताक्षर क्र0तथा तारीख और संशोधनों के रजिस्ट्रीकरण की तारीख
5	6	7	8 9

प्रारूप चार

(नियम–9 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 10 तथा 13 के अधीन आवेदन

1– सोसायटी का नाम तथा पूरा पता – – – – – –

2– रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख –– – – – –

3– वर्तमान सदस्यों कीकुल संख्या – – – – – –

4– सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण विनियम के किस विनियम के अधीन संशोधन प्रस्तावित है। – – – – –

5– संशोधन प्रस्ताव कार्यकारिणी की किस तारीख के सम्मिलन में पारित हुआ, सम्मिलन की सूचना कितने सदस्यों को दी गई तथा गणपूर्ति क्या रही। – – – – – –

6– साधारण सम्मिलन की तारीख क्या है। तथा सम्मिलेन किस नियम के अधीन बुलाया गया – – – – –

सूचना कितने दिनों की दी गई, कितने सदस्य
उपस्थिति रहे तथा सम्मेलन की गणपूर्ति क्या थी

7— संशोधन प्रस्ताव तथा संशोधित नियमों तथा —— – – – – –
विनियमों की तीन प्रतिया। प्रत्येक पृष्ठ पर
कार्यकारिणी के तीन सदस्यों द्वारा सम्यक रूप
से हस्ताक्षरित पूर्ण ब्योरों सहित प्रस्तुत करें
ऐसे नियमों जिनके खण्ड में संशेधन प्रस्तावित
है को दर्शाते हुये विद्यमान उपबन्धों तथा
कारणों सहित संशोधनों का तुलनात्मक चार्ट
भी कृपया प्रस्तुत करें

8— ज्ञापन तथा नियमों और विनियम में संशोधन हेतु विहित फीस
रूपये – – – – – रसीद क्रमांक – – – – दिनांक – – –
चालन – – – – क्रमांक – – – – दिनांक – – – – द्वारा जमा
कर दिये गये है। चालान की मूल प्रति संलग्न है।

9— मैं – – —— – – पुत्र – – – – – आयु – – – – निवासी – – –
– – पदनाम – – – – एतद द्वारा घोषाण करता हूॅ कि उपरोक्त
समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं यह
जानता हूॅ कि कोई मिथ्य जानकारी देना अधिनियम की धारा 38 (2)
के अधीन दण्डनीय होगा ।

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्रारूप पांच

(नियम–9 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

क्रमांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि रजिस्ट्रीकृत सोसायटी– – – – – – ने जो – – – – – तहसील – – – जिला – – – – – मे स्थित है अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब – – – – – – के नाम से मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन तारीख – – – – को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

मुद्रा सोसायटियों का रजिस्ट्रार

प्रारूप चार

(नियम–9 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 21 के अधीन स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने या विक्रय दान या अन्यथा

के लिये अनुज्ञा चाहने हेतु आवेदन ।

1– सोसायटी का नाम तथा पूरा पता – – – –

2– सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख – – – –

3– सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति की पूर्ण विशिष्टियॉ – – – ––

4– अर्जित/क्रय/दान/अन्तरण/विक्रय की जाने वाली – – – – या अन्यथा स्थावर सम्पत्ति की ,खसरा क्रमांक, नक्शा, स्वामित्व के प्रमाण पत्र आदि के साथ पूर्ण विशिष्टियां

5– स्थावर सम्पत्ति केविक्रय/क्रय या अन्यथा अन्तरण– – – – – या सोसायटी के उद्देश्यों से भिन्न सम्पत्ति के उपयोग का कारण ।

6– सम्पत्ति के केता या विक्रेता का पूरा नाम तथा पता – – – –

7– स्थानीय सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा स्थावर –– – – – सम्पत्ति के मूल्य की युक्ति युक्तता का प्रमाण पत्र

8– स्थावन सम्पत्ति का क्रय/विक्रय या अन्तरण करने के – – – – लिये सोसायटी के नियमों तथा विनियमोंके अनुसार कार्यवृत्त (संकल्प) की प्रतियॉ

9— यदि विक्रेता क्रेता अनुसूचित जनजाति का हो तो — — — —
इस संबंध में कलेक्टर का आदेश संलग्न करें

10— अन्य कोई जानकारी यदि कोई जो(जैसे कि — — — — —
निधियोंके स्त्रोत आदि)

11— स्थावर सम्पत्ति के क्रय विक्रय अन्तरण आदि के लिये अनुज्ञा फीस
रूपये — — — — — रसीद/चालान क्रमाक — — — — तारीख— — —
द्वारा जमा की गई है चालान की मूल प्रति संलग्न है।

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्रारूप सात

(नियम11 देखिये)

रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देशन पत्र (प्रोफार्मा)

1— सोसायटी का पूरा नाम तथा पता — — — — —

2— रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख — — — — — 3—

उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या उनके नाम तथा — — — ——— पते संलग्न करें

4— रजिस्ट्रीकृत नियमोंतथा विनियमों के अनुसार —— — — — शासी विकनाय की अवधि

5— वर्तमान निर्वाचन की तारीख और उपस्थित — — — — — सदस्यसंख्या एवं गणपूर्ति क्या थी

6— विद्यमान पदाधिकारियों ने पूर्ण पदाधिकारियों से — — — ——— किस तारीख को कार्य भार ग्रहण किया, एक सूची उनके नाम पते तथा उपजीविकाएं उनके हस्ताक्षर सहित संलग्न करें।

7— पूर्वनिर्वाचन की तारीख — — — — —

8— सोसायटी के नियमों तथा विनियम के अनुसार — — — — — वार्षिक साधारण सम्मेलन का मास तथा तारीख

9— अंतिम वार्षिक सूची कब प्रस्तुत की गई थी यदि — — — — प्रस्तुत नहींकी गई हो तोउसका क्या कारण है।

10— इसवर्ष के वार्षिक साधारण सम्मेलन के कार्यवृत तारीख सहित संलग्न करें ।

11— मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम — — — — 1973 की धारा 27 के अधीन सूची की वार्षिक फीस रूपये — — — — रसीद/ चालान क्रमांक—— ——— तारीख — — — द्वारा जमा कर दी गई है।

चालान की मूल प्रति संलग्न है।

अध्यक्ष की धोषणा

मैं – – – – – – – पुत्र – – – – – – आयु– – – – वर्ष

प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है और यह जानता हूँ कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38 (2) के अधीन दण्डनीय होगा ।

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

या

सचिव के हस्ताक्षर